Article Date	Headline / Summary	Publication
05 May 2026	Home Insurance: 8 flats on Gaur Green Avenue burnt down in Indirapuram, most did not have home insurance, you are not making this mistake	Navbharat Times

Home Insurance: इंदिरापुरम में गौर ग्रीन एवेन्यू के 8 फ्लैट जल गए, अधिकतर का नहीं था होम इंश्योरेंस, आप तो नहीं कर रहे हैं यह गलती

Home Insurance Policy: यह बीते सप्ताह की ही बात है। दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद के पॉश कॉलोनी है इंदिरापुरम। इंदिरापुरम में मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे अमीर-उमरा लोगों की एक मल्टी स्टोरी सोसाइटी है गौर ग्रीन एवेन्यू (Gaur Green Avenue)। इसके टावर D में पिछले बुधवार को सुबह-सुबह भीषण आग लगी थी। इसमें 8 फ्लैट बुरी तरह जल गए थे। इसके बाद जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इनमें से अधिकतर फ्लैट मालिकों ने होम इंश्योरेंस यानी घर का बीमा करवाया ही नहीं था।

Home Insurance Premium: इस समय दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु हो या हैदराबाद हो, कही भी अच्छे इलाके में करोड़ों रुपये में फ्लैट मिल रहे हैं। लोग करोड़ों रुपये का फ्लैट तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ हजार रुपये के प्रीमियम में मकान की बीमा पॉलिसी नहीं खरीदते। अब इंदिरापुरम के उन फ्लैट ऑनरों की मजबूरी समझिए, जिनका फ्लैट और उसमें रखा सारा सामान जल कर खाक हो गया। सिर्फ फ्लैट का स्ट्रक्चर खड़ा है। अब वे कहते हैं कि नए सिरे से मकान तैयार करने में उन्हें एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। घर का बीमा क्यों करवाना चाहिए, इस बारे में बजाज जनरल इंश्योरेंस में कॉमर्शियल अंडरराइटिंग के हेड गुरदीप सिंह बत्रा बता रहे हैं काम की बात।

इंदिरापुरम की जिस सोसाइटी में पिछले बुधवार (29 अप्रैल 2026) को आग लगी थी, उस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने एक बीमा कंपनी से 300 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर ले रखा है। यदि भूकंप, बाढ़ या किसी आपदे से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान होता है तो उसमें बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करेगी। लोग सोचते हैं कि सोसाइटी का तो इंश्योरेंस है ही, ऐसे में अलग से बीमा पॉलिसी लेने का क्या मतलब है। लेकिन इस मामले में किसी भी फ्लैट ऑनर को बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि इस आग लगने की घटना में सिर्फ फ्लैट जले हैं। उसके स्ट्रक्चरल स्वरूप में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हां, जिसने अपने मकान का अलग से बीमा करवा रखा है, उसे जरूर नुकसान की क्षतिपूर्ति होगी। उस सोसाइटी में महज एक या दो लोगों ने होम इंश्योरेंस की कवर ले रखा था।

भारत में होम इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी प्रॉपर्टी का बीमा है। यदि आपके मकान में आग लग जाए या किसी अनहोनी से घर के सामान का नुकसान हो, चोरी हो जाए तो आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह जीवन बीमा से बिल्कुल अलग है, जिसमें बीमा पॉलिसी धारक की मौत होने पर ही क्लेम मिलता है। इसमें मकान में नुकसान होने पर आपको क्लेम मिलता है। बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने अलग से एक भारत 'गृह रक्षा पॉलिसी' भी निकाली है। इसमें घर में रखे सामान ही नहीं, मकान की दीवार, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लंबिंग, फिक्सचर, आदि का

नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति होती है। इसमें यदि आप कुछ ऐड-ऑन करेंगे तो आपके गैरेज, वरांडा, कंपाउंड वॉल, रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, सोलर पैनल, वाटर टैंक, इंटरनल रोड और प्रॉपर्टी की फिक्स्ड फिटिंग आदि की भी क्षतिपूर्ति मिलेगी।

आपने अपने मकान का बीमा करवा रखा है। यदि आग लगने से, विस्फोट से, बिजली गिरने से, भूकंप से, तूफान से, बाढ़ से, भू-स्खलन से, दंगे से, आतंकवादी घटना से या फिर वाटर टैंक के ओवरफ्लो होने या पानी के लीकेज से कोई नुकसान हो तो भी होम इंश्योरेंस में बीमा करवाने वाले को क्षतिपूर्ति मिलती है। यदि नुकसान की वजह से कुछ महीनों के लिए वह मकान रहने योग्य नहीं रह जाता है तो बीमा कंपनी उतने महीने का रेंटल इनकम लॉस का भी मुआवजा देती है। मतलब कि आप मकान फिर से तैयार कर रहे हैं और बाहर किराये पर रह रहे हैं तो उसकी भी क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी।

आपने भले ही करोड़ों का मकान खरीदा हो, लेकिन उसके मार्केट वैल्यू के बराबर का होम इंश्योरेंस नहीं होगा। बीमा पॉलिसी में देखा जाता है कि आप जिस मकान का बीमा करवाते हैं, उसे फिर से बनाने में कितना खर्च आएगा। इसकी गणना मकान के कारपेट एरिया, प्रति वर्ग मीटर बनाने की लागत, स्थायी फिक्सचर की कीमत या कोई ऐड-ऑन लिया गया हो तो उसकी लागत आदि देखी जाती है। इस तरह के बीमा पर औसतन देखा जाए तो प्रति लाख रुपये के बीमा पर 10 रुपये का सालाना प्रीमियम पड़ता है। कुछ कंपनियां आपके मकान की मार्केट वैल्यू पर भी बीमा करती है। लेकिन उसका प्रीमियम कुछ ज्यादा पड़ेगा। स्टेंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कुछ ऐड-आन लेंगे तो उसका भी प्रीमियम अतिरिक्त चुकाना होगा।

भारत में जब जीवन बीमा सभी लोग नहीं करवाते हैं तो होम इंश्योरेंस कितने लोगों के पास होगा, आप समझ ही सकते हैं। लोगों में इस बारे में जागरुकता है ही नहीं, इसलिए इस समय महज एक से दो फीसदी मकान मालिकों के पास ही होम इंश्योरेंस है। छोटे मकानों में रहने वाले सोचते हैं कि मेरे मकान को क्या होगा? बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग सोचते हैं कि आरडब्ल्यूए ने तो सैकड़ों करोड़ रुपये का बीमा लिया ही है। उन्हें अलग से बीमा पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है। इस गलती की वजह से कभी अनहोनी हो जाती है तो वे उसकी कीमत चुकाते हैं।